

## क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा-निर्देश

1. कार्यक्रम का नाम – आशा
2. बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर)  
– HR at State level
3. बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर)  
– Part-B -1.1.5.1
4. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी जिलों में ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ता का चयन किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं के समस्याओं के समाधान, सलाह एवं दिशा-निर्देश और कार्यक्रम के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला स्तर जिला सामुदायिक उत्प्रेरक और जिला डाटा सहायक कार्यरत हैं। जिनके कार्यों की समीक्षा और समयानुसार आवश्यक दिशा निर्देशन हेतु प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आशा समन्वयक की नियुक्ति की गयी है। जिनको मार्गदर्शन और दिशा निर्देश राज्य स्तर पर कार्यरत आशा संसाधन केन्द्र के द्वारा दिया जाता है। साथ ही राज्य स्तर पर कार्यरत आशा संसाधन केन्द्र के 6 कर्मियों के साथ सभी 9 प्रमण्डलों के प्रमण्डलीय आशा समन्वयकों की गणना की जाती है। जिनके मानदेय की मांग भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर से ही की जाती है। चूंकि प्रमण्डलीय आशा समन्वयक प्रमण्डल में कार्यरत हैं इसलिये इनके 12 माह के मानदेय की राशि प्रमण्डल स्तर पर दी जा रही है।
5. इकाई राशि  
DAC – Newly Joined @ 27,000/- per month.  
DAC – Completed 1 Year @ 28,350/- per month.  
DAC – Completed 2 Years @ 31,185/- per month.  
DAC – Completed 3 Years @ 34304/- per month.
6. वित्तीय दिशा-निर्देश  
DAC - नवनियुक्त DAC को रु० 27,000/- प्रति माह के दर से राशि आवंटित की गयी है। साथ ही पूर्व से कार्यरत DAC के मानदेय में वृद्धि की गणना वित्तीय वर्ष पूर्ण करने के आधार पर किया जाना है।
7. इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)  
– SHSB/PM(ASHA)/11/09/Part – II/936, Dated- 02.02.13
8. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम :  
–डॉ० मो० सज्जाद अहमद राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
9. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर :

//////////







258



## कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश

1. कार्यक्रम का नाम – आशा
2. बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर)  
– HR at District level
3. बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर)  
– Part-B –1.1.5.2
4. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण  
– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी जिलों में आशा कार्यकर्ताओं के समस्याओं के समाधान, सलाह उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश देने हेतु जिला स्तर पर जिला सामुदायिक उत्प्रेरक एवं जिला डाटा सहायक (आशा) पदस्थापित और कार्यरत हैं। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक एवं जिला डाटा सहायक (आशा) का मानदेय 12 माह के लिये इकाई राशि में उल्लेखित दर से आवंटित की जा रही है।
5. इकाई राशि (रु० लाख में)
  - A. DCM – Newly Joined @ 20,000/- per month.  
DCM – Completed 1 Year @ 22,000/- per month.  
DCM – Completed 2 Years @ 24,200/- per month.  
DCM – Completed 2 Years @ 26,620/- per month.
  - B. DDA – Newly Joined @ 15,000/- per month.  
DDA – Completed 1 Year @ 16,500/- per month.  
DDA – Completed 2 Years @ 18,150/- per month.  
DDA – Completed 2 Years @ 19,965/- per month.
6. वित्तीय दिशा-निर्देश
  - (A) DCM - नवनियुक्त DCM को रु० 20,000/- प्रति माह के दर से प्रति जिला देय होगा। साथ ही पूर्व से कार्यरत DCM के मानदेय में वृद्धि की गणना वित्तीय वर्ष पूर्ण करने के आधार पर किया गया है।
  - (B) DDA . नवनियुक्त DDA को रु० 15,000/- प्रति माह के दर से प्रति जिला देय होगा। साथ ही पूर्व से कार्यरत DDA के मानदेय में वृद्धि की गणना वित्तीय वर्ष पूर्ण करने के आधार पर किया जाना है।
7. इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)  
– SHSB/PM(ASHA)/11/09/Part – II/936, Dated- 02.02.13
8. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम :  
– डॉ० मो० सज्जाद अहमद राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
9. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर :  
– 9470003829 / 0612 – 2284666


## कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश

1. कार्यक्रम का नाम – आशा
2. बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर)  
– HR at Block Level
3. बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर)  
– Part-B – 1.1.5.3
4. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी प्रखंडों में आशा कार्यकर्ताओं के समस्याओं के समाधान, सलाह उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश देने हेतु प्रखंड स्तर पर प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही प्रत्येक 20 आशाओं को उनके कार्यक्षेत्र में Support एवं Facilitate करने हेतु एक आशा फैसलीटेटर का चयन किया गया है। प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक के मासिक मानदेय और आशा फैसलीटेटर के 20 कार्यदिवसों के अनुरूप किये गये कार्यों हेतु 12 माह की राशि आवंटित की जा रही है।
5. इकाई राशि  
A. BCM – Newly Joined @ 12000/- per month.  
BCM – Completed 1 Year @ 13,200/- per month.  
BCM – Completed 2 Years @ 14,520/- per month.  
BCM – Completed 3 Years @ 15,972/- per month  
  
B. ASHA Facilitator:- @175/- रु० प्रति कार्यदिवस के लिये 20 दिवसों हेतु
6. वित्तीय दिशा निर्देश  
A. BCM - नवनियुक्त BCM को रु० 12,000/- प्रति माह के दर से देय होगा। साथ ही पूर्व से कार्यरत BCM के मानदेय में वृद्धि की गणना वित्तीय वर्ष पूर्ण करने के आधार पर किया जाना है।  
B. – आशा फैसलीटेटर – जिले के ( लक्षित आशा/21 वीं)।  
@175 x 20 दिन X 12 माह X जिलेवार लक्षित आशा /21, आशा फैसलीटेटर द्वारा अगर रविवार और अवकाश के दिवसों में क्षेत्रभ्रमण, गृहभ्रमण और बैठक आयोजित की गयी है तो उसकी भी गणना उसके कार्य दिवसों में की जायेगी)
7. इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)  
SHSB/PM(ASHA)/11/2009/Part-II/936, Dated- 02/02/13  
SHSB/Gen. Admin(ARC)/425/2011/Part-I/3524, Dated- 11.04.13
8. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम :  
– डॉ० मो० सज्जाद अहमद राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
9. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर :  
–

## कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश

1. कार्यक्रम का नाम – आशा

2. बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर)

– Mobility Costs for ASHA Resource Centre/ ASHA Mentoring Group

3. बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर)

– Part-B –1.1.5.4

4. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी जिलों में ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ता का चयन किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं के समस्याओं के समाधान, सलाह एवं दिशा-निर्देश और कार्यक्रम के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला स्तर पर जिला सामुदायिक उत्प्रेरक और जिला डाटा सहायक कार्यरत है। जिनके कार्यों की समीक्षा और समयानुसार आवश्यक दिशा निर्देशन हेतु प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आशा समन्वयक की नियुक्ति की गयी है। समयानुसार सभी स्तरों पर क्षेत्रभ्रमण और कार्यालय खर्च हेतु राशि आवंटित की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रमंडलीय आशा समन्वयक एवं जिला सामुदायिक उत्प्रेरकों के लिये एक-एक लैपटॉप के लिये भी राशि निम्नांकित रूप से दर्शाये गये इकाई राशि के अनुरूप आवंटित की जा रही है।

5. इकाई राशि:-

A. Office Expenses & Travel of BCM

BCM:- @ 1300/- प्रतिमाह क्षेत्र भ्रमण के लिये (कुल 12 माह के लिये)

@ 500/- प्रतिमाह कार्यालय एवं मोबाइल खर्च हेतु (कुल 12 माह के लिये)

B. Office Expenses & Travel of DCM/DDA :

DCM/DDA:- @ 7800/- प्रतिमाह क्षेत्र भ्रमण के लिये (कुल 12 माह के लिये)

@ 2000/- प्रतिमाह कार्यालय एवं मोबाइल खर्च हेतु (कुल 12 माह के लिये)

C. Office & Travel Expenses of DAC –


DAC: - @ 12000/- प्रतिमाह क्षेत्र भ्रमण के लिये (कुल 12 माह के लिये)

@ 2000/- प्रतिमाह कार्यालय एवं मोबाइल खर्च हेतु (कुल 12 माह के लिये)

6. वित्तीय दिशा-निर्देश

A. Office Expenses & Travel of BCM :

BCM के क्षेत्र भ्रमण हेतु – 1300/- प्रति माह की दर से प्रति BCM राशि आवंटित है। जिसके अंतर्गत BCM द्वारा प्रखण्ड स्तर पर किये क्षेत्र भ्रमण एवं जिलों में मासिक बैठकों के दौरान किये गये भ्रमण में व्यय किया जायेगा। उक्त राशि का भुगतान संबंधित BCM द्वारा खर्च विवरणी विपत्र या स्वअभिप्रमाणित खर्च विवरणी सत्यापित कर दिये जाने के उपरांत किया जाना है। अगर किसी BCM के पास अपना दो पहिया वाहन है तो उनके द्वारा इंधन खर्च के विपत्र जो उनके द्वारा सत्यापित किया हो तो क्षेत्र भ्रमण हेतु उपलब्ध राशि से भुगतान किया जाना है। साथ ही किये गये क्षेत्रभ्रमण का कार्यविवरणी और प्रतिवेदन आवश्यक है।



261

कार्यालय खर्च हेतु 500/- प्रतिमाह की दर से- (जिसके अंतर्गत रु0 200/- मोबाइल , 300/- स्टेशनरी हेतु व्यय किया जाना है)। उक्त हेतु भुगतान विपत्र सत्यापित कर दिये जाने के उपरांत किया जाये।

(B) Office Expenses & Travel of DCM/DDA :

DCM के क्षेत्र भ्रमण हेतु - 7800/- की दर से 12 माह के लिये दिया गया है। जिसके अंतर्गत DCM द्वारा राशि प्रखण्ड, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक ईकाई और राज्य स्तर पर किये गये भ्रमण के लिये व्यय किया जायेगा। उक्त राशि का भुगतान संबंधित DCM द्वारा खर्च विवरणी विपत्र या स्वअभिप्रमाणित खर्च विवरणी सत्यापित कर दिये जाने के उपरांत किया जाना है। DCM की अनुपस्थिति में DDA द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जाना है। जिसका विपत्र DDA द्वारा जमा कर खर्च की गयी राशि प्राप्त की जा सकती है। साथ ही किये गये क्षेत्रभ्रमण का कार्यविवरण और प्रतिवेदन आवश्यक है।

कार्यालय खर्च हेतु 2000/- प्रतिमाह की दर से- (जिसके अंतर्गत रु0 500/- मोबाइल, रु0 500/- इटरनेट और रु0 1000/- स्टेशनरी हेतु व्यय किया जाना है)। उक्त राशि का व्यय DCM की अनुपस्थिति में DDA द्वारा किया जायेगा।

(C) Office & Travel Expenses of DAC -

DAC के क्षेत्र भ्रमण हेतु - 12000/- की दर से 12 माह के लिये दिया गया है। जिसके अंतर्गत DAC द्वारा राशि प्रखण्ड, जिला, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई और राज्य स्तर पर किये गये भ्रमण के लिये व्यय किया जायेगा। साथ ही किये गये क्षेत्रभ्रमण का कार्यविवरण और प्रतिवेदन आवश्यक है।

कार्यालय खर्च हेतु 2000/-प्रतिमाह की दर से:- (जिसके अंतर्गत रु0 500/-मोबाइल, रु0 500/-इन्टरनेट और रु0 1000/-स्टेशनरी हेतु व्यय किया जाना है)।

इस वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रमंडलीय आशा समन्वयक एवं जिला सामुदायिक उत्प्रेरकों के लिये एक-एक लैपटॉप दिया जाना है। लैपटॉप कय किये जाने हेतु प्रत्येक प्रमंडल एवं जिला को रु0 30000/- की दर से राशि आवंटित की जा रही है। उक्त हेतु दर अनुबंध राज्य स्तर से किया जाना है। किये गये दर अनुबंध के पश्चात संबंधित एजेंसी के पूर्ण विवरण एवं आवश्यक बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये सूचना पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

7. इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

- SHSB/PM(ASHA)/11/09/Part - II/936, Dated- 02.02.13

8. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम :

- डॉ० मो० सज्जाद अहमद राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

9. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : -